

छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान, जगदलपुर (छ0ग0)
हाऊसकिपिंग हेतु निविदा, दिनांक



हाऊसकिपिंग हेतु निविदा प्रपत्र एवं शर्तें
(प्रपत्र "एक" से प्रपत्र "चार" तक)

निविदा फार्म का मूल्य रु 500/-

//छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान, जगदलपुर (छ0ग0)//
महाविद्यालय परिसर में भवनों की हाऊसकिपिंग से संबंधित निविदा

छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान, जगदलपुर की हाऊसकिपिंग हेतु पंजीकृत सक्षम श्रेणी (ए-1 एवं उच्च श्रेणी) के टेकदार/फर्म से सीलबंद निविदा स्पीड पोस्ट से आमंत्रित की जाती है। उक्त प्रपत्र महाविद्यालय की वेबसाईड से प्राप्त करते हुए रु 500/- का डिमांड ड्राफ्ट एवं अमानत राशि रु 50,000/- संलग्न किया जावे। उक्त डिमांड ड्राफ्ट प्राचार्य, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर के नाम से बनाया जाये। प्रपत्र राशि एवं अमानत राशि की डिमांड ड्राफ्ट पृथक लिफाफे में भरा जाये। जिसके ऊपर प्रपत्र राशि एवं अमानत राशि का विषय अंकित हो। निविदा आमंत्रण विवरण इस प्रकार है:-

निविदा उपलब्ध कराने की तिथि:-

- दिनांक :- 15/05/2026

महाविद्यालय में निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि

- 15/06/2026 समय सांय 04:00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि (प्राचार्य कक्ष में)

- 16/06/2026 समय पूर्वान्ह 11:30 बजे तक

प्राचार्य

छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान, जगदलपुर (छ0ग0)
हाऊसकिपिंग हेतु निविदा, दिनांक

:- निविदा प्रपत्र :-

नोट:- निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर सुरक्षा एजेंसी की मोहर लगाकर हस्ताक्षर करें।

प्रपत्र एक

प्रति,

प्राचार्य
छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान,
जगदलपुर (छ0ग0)

महोदय,

छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान, जगदलपुर द्वारा जारी निविदा क्रमांक/...../छप्रौसं/जगदलपुर दिनांकके संदर्भ में मेरा आवेदन एवं निविदा प्रस्तुत है तथा मैं बचन देता/देती हूँ कि यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं महाविद्यालय द्वारा निविदा-प्रपत्र में महाविद्यालय के द्वारा प्रस्तुत अनुबंध कंडिकाओं तथा संदर्भित निविदा विज्ञापन में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करते हुए हाऊसकिपिंग का कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा प्रपत्र राशि रु..... ... (.....) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक.....दिनांक.....जो.....बैंक का है तथा प्राचार्य, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर को देय है, की मूल प्रति संलग्न कर रहा/रही हूँ।
हमारी फर्म को वर्तमान में संबंधित क्षेत्र एवं कार्य का निम्नानुसार अनुभव है:-

01. नाम व पता
02. यदि कोई पार्टनर हो तो उसका नाम एवं पता
यदि पंजीकृत भागीदारी फर्म है तो व्यक्तिगत
पंजीकृत प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की जावे
यदि पंजीकृत भागीदारी फर्म नहीं है तो
व्यक्तिगत भागिता-फर्म की नोटरी से सत्यापित
सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जाये।
03. पूर्व कार्यों के अनुभव का विवरण का संबंधित
संस्थान के नाम-पते एवं परफारमेंन्स रिपोर्ट सहित देवे
(अलग शीट पर विवरण संलग्न करें)
04. वर्तमान में कितने हाऊसकिपिंग कर्मचारी आपकी ठेकेदारी में कार्यरत है.....
05. वर्तमान में जहां कार्य चल रहा हो, उस संस्थान का नाम/पता
(समर्थन में पत्र/आदेश प्रति संलग्न की जावे)
06. हाऊसकिपिंग संबंधी जीवित लेबर लायसेंस का विवरण
(लायसेंस के प्रमाण पत्र की छायाप्रति की जावे)
07. भविष्य निधि कोड नंबर एवं वर्करमेंन कम्परमेंशन
पॉलिसी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे।
08. ESIC/EPF No. Employees code no.
प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे।

छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान, जगदलपुर (छ0ग0)
हाऊसकिपिंग हेतु निविदा, दिनांक

09. सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे)
10. GST का वैद्य प्रमाण पत्र संलग्न की जावे।
11. फर्म का कर समाशोधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
- (यह सुनिश्चित करें कि फर्म ने देयक कर अदा किया है एवं उसपर कोई बकाया नहीं है)
12. फर्म संचालक का PAN नंबर की प्रमाणित छायाप्रति।
13. साल्वेन्सी सर्टिफिकेट (न्यूनतम रु 20 लाख प्रतिवर्ष विंगत तीन वित्तीय
- वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 की छायाप्रति संलग्न करें)
14. वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 में आयकर भुगतान चालान की
- छायाप्रति CITR Acknowledgement की सत्यापित प्रति करें।
15. फर्म का वार्षिक टर्न ओवर एवं तीन वर्ष का फार्म-16 (C.A. द्वारा प्रमाणित)
- संलग्न करें फर्म का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम रु. 50.00 (पचास लाख) होना चाहिए।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी सही एवं पूर्ण है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है तथा मैंने कोई गलत जानकारी नहीं दी है।

स्थान:-

हस्ताक्षर.....

दिनांक:-

नाम:-

दूरभाष नंबर.....

मुहर:-

मोबाईल नंबर:-

फैक्स नंबर:-

ई0मेल0आईडी0.....

(टीप:- अभिलेखों की छायाप्रतियों को निविदाकार के द्वारा अपने पूर्ण हस्ताक्षर करते हुए स्वयं के द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है। स्वयं सत्यापन करते हुए हस्ताक्षर के नीचे निविदाकार को अपना पूर्ण नाम एवं दिनांक अंकित करना अनिवार्य होगा)

प्रपत्र दो

निविदा की विशेष शर्तें

1. निविदा निर्धारित तिथि तक रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी एण्ड टी विभाग से अधिकृत कोरियर के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा प्रपत्र महाविद्यालय में सीधे प्राप्त नहीं किये जायेंगे। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले निविदाओं पर किसी परिस्थिति में विचार नहीं किया जावेगा। डाक/कोरियर के माध्यम से प्रेषित निविदा प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि.....समय अपरान्ह 04 बजे तक होगा। विलंब से प्राप्त होने पर महाविद्यालय जवाबदेह नहीं होगा।
2. वही एजेंसी अथवा निविदाकार की निविदा मान्य की जाएगी, जो निम्नानुसार पात्रता रखते हो:-
(अ) जिसमें छ0ग0 के शासकीय, अर्धशासकीय, राजकीय विश्वविद्यालय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, संस्थानों में न्यूनतम 03 वर्ष का हाऊसकिपिंग कार्य किया हो तथा किसी एक कार्यदेश की न्यूनतम क्षमता 40 की हो। समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें।
(ब) जिस एजेंसी के पास ऐसे दो ठेके वर्तमान में संचालित हो, जिसका पारिश्रमिक रू. 15 लाख प्रतिवर्ष से कम न हो (इसके समर्थन में एजेंसी का कार्यदेश/अन्य दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
3. अमानत राशि एवं आवश्यक विवरण जो कि महाविद्यालय द्वारा चाही गई है, संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में निविदाएं निरस्त मानी जावेगी।
4. निविदाएं निर्धारित तिथि को प्राचार्य कक्ष में दिनांक.....को समय पूर्वान्ह 11:30 बजे से खोली जावेगी। निविदा खोलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि (निविदाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित प्राधिकार के साथ) उपस्थित हो सकते हैं। किन्तु बैठक में उपस्थित होने की अनुमति क्रय समिति द्वारा दिया जा सकेगा। बैठक में फर्म प्रतिनिधि मोबाईल फोन स्वीच आफ रखेंगे। क्रय समिति से शालीनता का व्यवहार किया जावेगा अन्यथा बैठक से निष्कासित कर दिया जावेगा। तथा ऐसे फर्म के प्रतिनिधि की कोई बात नहीं सुनी जावेगी।
5. हाऊसकिपिंग एजेंसी को समस्त शुल्क का विवरण जैसे ई0एस0आई0, ई0डी0एल0आई एडमिन चार्ज ई0पी0एफ, एच0आर0ए अन्य भत्ते सेवा शुल्क आदि देना होगा। समस्त फर्मों के द्वारा दर अनुसूची में समस्त सुविधा/कर सहित प्रति व्यक्ति की दर में पूर्णांक संख्या में दर अंकित किया जावे अर्थात् दशमलव अथवा प्रतिशत में दर का उल्लेख नहीं करेंगे।
6. हाऊसकिपिंग द्वारा अपना सेवा शुल्क न लेने की स्थिति में यह स्पष्ट करना होगा कि वह अपने खर्च की पूर्ति कैसे करेंगे तथा शासन द्वारा प्रदत्त सभी शर्तों का पालन किस प्रकार करेंगे?
7. हाऊसकिपिंग को शासन एवं महाविद्यालय के सभी नियम, शर्तें समय-समय पर जारी आदेश, निर्देश मानने होंगे तथा उल्लंघन कि स्थिति में संपूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
8. हाऊसकिपिंग में संलग्न सभी कर्मियों का ईपीएफ, आधार कार्ड बीमा सुरक्षा एजेंसी के द्वारा होना अनिवार्य है। जिसकी सूची संलग्न करनी होगी तथा संबंधित संस्थाओं में जमा राशि की रसीद की छायाप्रति जमा करनी होगी।
9. हाऊसकिपिंग को शासन के द्वारा निर्धारित सभी करों का उल्लेख निविदा प्रपत्र में करना अनिवार्य है।
10. हाऊसकिपिंग को शासन के द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर का पालन करना होगा एवं किसी भी कर्मों को एजेंसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन देय नहीं होगा।
11. यदि हाऊसकिपिंग एजेंसी का न्यूनतम दर प्राप्त होता है और शासन के करों तथा अन्य विवरण का उल्लेख नहीं है तो भी उसकी निविदा स्वतः निरस्त हो जाएगी।
12. हाऊसकिपिंग का पहचान पत्र सुरक्षा एजेंसी द्वारा जारी किया जाना होगा।
13. आवश्यकतानुसार निविदाकर्ताओं से चर्चा कर दें एवं अन्य शर्तें निर्धारित करने का अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित होगा। चर्चा की तिथि महाविद्यालय अपनी सुविधानुसार निर्धारित करेगा।
14. महाविद्यालय को किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने अथवा एक या एक से अधिक/समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार होगा।
15. ऐसे निविदाकर्ता जो कि निविदा में महाविद्यालय की निर्धारित शर्तों को पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे, उन्हें चर्चा की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है।

16. ऐसे निविदाएं जो निविदा प्रेषकों द्वारा सशर्त प्रस्तुत की गई है स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
17. यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को महाविद्यालय द्वारा हाऊसकिपिंग प्रस्ताव दिया जाता है एवं संबंधित निविदाकर्ता अपनी निविदा निष्पादित करने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता तो ऐसी दशा में उसके द्वारा जमा की गई अमानत राशि महाविद्यालय द्वारा जप्त कर ली जावेगी।
18. निविदा के साथ अमानत राशि रु. 50,000/- जमा करना अनिवार्य है। यह राशि निविदा स्वीकृत होने की दशा में प्रतिभूति राशि में समायोजित की जा सकेगी। कार्य अवधि में फर्म के द्वारा सफलतापूर्वक बिना किसी विवाद या अवमानना के संपादन के बाद ही निविदा अवधि समाप्ति पर बिना ब्याज की अमानत राशि मूलतः वापस की जा सकेगी। अमानत राशि प्राचार्य, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर के नाम से बैंक ड्राफ्ट के रूप में होना चाहिए डिमांड ड्राफ्ट मुख्य रूप से भारतीय स्टेट बैंक का होना चाहिए अन्यथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक जिनकी शाखा कार्यालय जगदलपुर, जिला-बस्तर में स्थापित हो, उनके डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया जावे।
19. ऐसे निविदाकर्ता जिनकी निविदा महाविद्यालय द्वारा अस्वीकृत की जाती है, उनकी अमानत राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् एवं एक माह के अंदर लौटाई जा सकेगी। किन्तु प्रपत्र राशि किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी।
20. निविदाकर्ताओं का नियोजन के रूप में भविष्यनिधि/ESIC का स्वयं का कोड होना आवश्यक है।
21. निविदाकर्ता द्वारा निविदा में भरे गए दर राज्य एवं केन्द्र सरकार की वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए होना चाहिए।
22. निविदाकर्ता को निविदा के साथ संलग्न पेन नंबर या आयकर निर्धारण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
23. निविदाकर्ता निविदा भरने के पूर्व स्वयं के व्यय से छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान, जगदलपुर के समीप परिधी का अवलोकन कर ले, जिससे भविष्य में किये जाने वाले कार्य की प्रकृति मात्रा एवं वृहदता की जानकारी हो सके।
24. यदि दो या दो से अधिक हाऊसकिपिंग एजेंसियों द्वारा समान दर एवं अन्य शुल्क समान होने पर अधिकतम समय तक सुरक्षा कार्य करने का अनुभव रखने वाली एजेंसी को प्रशासन प्राथमिकता दे सकता है।
25. पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दरम्यान EPF एवं सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन में जमा किये गये चालानों की छायाप्रति निविदाकर्ता संलग्न करें।
26. लेबर लायसेंस प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
27. फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
28. आकस्मिक दुर्घटना/धन-जन हानि/अन्य आपका इत्यादि की स्थिति में महाविद्यालय प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निविदाकर्ता/टेकेदार अपने कर्मियों की समूह पॉलिसी की जिम्मेदारी स्वयं निर्वाह करेंगे।
29. सफल निविदाकार को कार्य आबंटन तत्काल प्रस्तुत करनी होगी। समस्त हाऊसकिपिंग अधिकारियों के नाम, पते (स्थायी/अस्थायी) टेलीफोन नंबर उपलब्ध कराते हुए चरित्र इत्यादि का सत्यापन निविदाकार को करना होगा। इसके साथ ही कार्यरत हाऊसकिपिंग के आधार कार्ड/सफाईकर्मी द्वारा जारी पहचान पत्र की सत्यापित छायाप्रति प्रति माह जमा करना होगा।
30. कर्मचारी स्वास्थ्य परीक्षण कराने एवं पुलिस वेरीफिकेशन स्थायी निवास के जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का प्रमाण पत्र द्वारा उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही कार्य पर लगाए जाएंगे। यह निविदाकार की जवाबदेही होगी।
31. प्रतिदिन 8 घण्टे की सेवा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुपस्थित होने पर कटौती करते हुए भुगतान किया जावेगा। आवश्यकता होने पर आपालकाल में अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था निविदाकार के द्वारा तत्काल करना अनिवार्य होगा।
32. निविदा तीन पृथक-पृथक लिफाफे में अर्थात् प्रथम लिफाफे में तकनीकी बीड तथा द्वितीय लिफाफे में प्रपत्र राशि एवं अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट तथा तृतीय लिफाफे में दर अनुसूची से संबंधित विषय अंकित करते हुए तीनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गयी निविदा ही मान्य की जावेगी। लिफाफे के ऊपर "हाऊसकिपिंग से संबंधित निविदा तथा निविदा क्रमांक एवं दिनांक" अंकित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक लिफाफे में लिफाफे के दस्तावेजों की जानकारी अंकित किया जावे।
33. समस्त संलग्न छायाप्रतियों सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित न होने की स्थिति में निविदा निरस्त मानी जावेगी।

34. सफल निविदाकार को महाविद्यालय की शर्तों के अनुरूप रु. 100.00 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर में अनुबंध करना होगा। अनुबंध करने पर ही कार्यदिश जारी किया जा सकेगा। अनुबंध नहीं करने पर अमानत राशि महाविद्यालय के पक्ष में राजसात की जावेगी।
35. स्वीकृत फर्म को महाविद्यालय की कंडिकाओं के अनुसार अनुबंध करना होगा। निविदा अनुबंध की तिथि तथा कार्यदिशानुसार 6 माह तक बैद्य होगी किन्तु फर्म का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर महाविद्यालय एवं फर्म की आपसी सहमति से निविदा दर में वृद्धि नहीं करने की शर्त पर कार्यदिश पुनः 06 माह तक बढ़ाया जा सकेगा। जिसे दोनो पक्षों की आपसी सहमति से प्रत्येक बार सतत रूप से 6-6 माह तक अधिकतम 18 माह तक तीन बार वृद्धि की जा सकती है।
36. सफल निविदाकार/अनुबंधित सुरक्षाएजेंसी को प्रति सप्ताह/माह अग्रिम ड्यूटी रोस्टर (प्रत्ये दिन का) अथवा अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा किसी भी प्रकार से किसी भी सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी में परिवर्तन करते पर अग्रिम सूचना एवं अनुमति प्रदाय करना होगा।
37. हाऊसकिपिंग के द्वारा लापरवाही पूर्वक ड्यूटी करते पाये जाने पर अर्थदण्ड 20 प्रतिशत कुल राशि के बिल में कटौती कर ली जावेगी।
38. किसी प्रकार के विवाद, अस्पष्टता की स्थिति में अंतिम निर्णय महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा, जो न्यायालयीन परिधि से बाहर होगा। माननीय प्राचार्य जी का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।
39. निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व अपने स्वयं के व्यय पर महाविद्यालय परिसर/कार्यस्थल का भौतिक निरीक्षण कर लें, जिससे कार्य की प्रकृति, मात्रा एवं परिस्थितियों का समुचित आकलन किया जा सके। निरीक्षण न करने की स्थिति में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
40. निविदाकार द्वारा यह अनिवार्य रूप से घोषित किया जाएगा कि उसकी फर्म/संस्था किसी भी केंद्र/राज्य शासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संस्थान द्वारा वर्तमान में ब्लैकलिस्ट/प्रतिबंधित नहीं है। यदि निविदा प्रक्रिया के दौरान अथवा अनुबंध अवधि में यह तथ्य असत्य पाया जाता है, तो निविदा निरस्त करते हुए अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा सकेगा तथा विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
41. महाविद्यालय को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह किसी भी समय 30 (तीस) दिवस का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त निम्न परिस्थितियों में बिना पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा—
 - (i) धोखाधड़ी अथवा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करना
 - (ii) श्रम कानूनों/नियमों का उल्लंघन
 - (iii) कार्य निष्पादन में निरंतर खराब प्रदर्शन/लापरवाही

मैने उपरोक्त उल्लेखित नियमों एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ा और स्पष्ट रूप से समझा है और उपरोक्त नियम एवं शर्तों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ तथा पालन के लिए प्रतिबद्ध हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर
मोहर/दिनांक.....



छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान, जगदलपुर (छ0ग0)
हाऊसकिपिंग हेतु निविदा, दिनांक

:- पूर्व योग्यता जाँच सूची:-
(Technical Bid)

| क्रमांक | विवरण | हाँ | नहीं | संलग्न पृष्ठ का सरल क्रमांक |
|---------|--|-----|------|-----------------------------|
| 01 | हाऊसकिपिंग एजेंसी का नाम, पता एवं दूरभाष नंबर | | | |
| 02 | ई0पी0एफ0ओ में एजेंसी का स्थापना नाम एवं आई0डी0 स्थापना वर्ष | | | |
| 03 | इम्पलॉयर/कान्ट्रेक्टर कोड | | | |
| 04 | GST नंबर (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें) | | | |
| 05 | PAN नंबर (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें) | | | |
| 06 | जीवित लेबर लाइसेंस प्रमाण पत्र | | | |
| 07 | सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन | | | |
| 08 | साल्वेन्सी प्रमाण-पत्र (न्यूनतम रू. 20 लाख प्रति वर्ष) | | | |
| 09 | ई0पी0एफ0ओ/भविष्य निधि पंजीयन प्रमाण पत्र कोड सहित | | | |
| 10 | ई0एस0आई0सी0 में पंजीयन प्रमाण पत्र कोड सहित | | | |
| 11 | अनुभव प्रमाण पत्र/परफार्मेंस सर्टिफिकेट विगत तीन वर्षों में कार्यरत संस्था से जारी कार्यदिश एवं कार्य, गुणवत्ता प्रमाण पत्र की छायाप्रति (वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26) | | | |
| 12 | वर्तमान में कार्यरत संस्थान का नाम, पता एवं दूरभाष नंबर | | | |
| 13 | एजेंसी की वार्षिक टर्नओवर पिछले तीन वर्षों में न्यूनतम रू. 50.00 लाख प्रतिवर्ष रहने की सी0ए0 से प्रमाणित अंकेक्षण पत्रक (वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26) | | | |
| 14 | आयकर निर्धारण पत्रक, विगत तीन वर्ष का आयकर रिटर्न विवरण एवं ITR Acknowledgement Reciept (वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26) | | | |
| 15 | वर्कमेन कम्फरमेंशन पॉलिसी (जीवित) की छायाप्रति | | | |
| 16 | प्रपत्र राशि एवं अमानत राशि की डिमांड ड्राफ्ट, जो प्राचार्य, झाड़ा सिरहा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर, बस्तर के नाम से देय हो, संलग्न करें। | | | |
| 17 | फाइनेसियल बीड संलग्न है अथवा नहीं। | | | |
| 18 | आयकर भुगतान चालान की छायाप्रति (Form 16 सहित)(वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26) का संलग्न करना अनिवार्य है। | | | |

निविदाकार के हस्ताक्षर
मोहर/दिनांक.....



छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान, जगदलपुर (छ0ग0)
हाऊसकिपिंग हेतु निविदा, दिनांक

:- दर अनुसूची :-
(Fainancial Bid)

प्रपत्र - तीन

1. छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान, जगदलपुर द्वारा जारी निविदा क्रमांक/.....जगदलपुर दिनांक.....के संदर्भ में मेरे/हमारे एजेंसी द्वारा निम्नानुसार दरें प्रस्तुत हैं, जो सभीप्रकार के शुल्क/कर सहित हैं:-

नोट:- कार्यालय कलेक्टर, जिला-बस्तर, जगदलपुर द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी अंकित करने पर दर अनुसूची अमान्य किया जावेगा। वर्तमान में निविदा जारी होने की तिथि अथवा निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि में प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार ही न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी राशि की प्रविष्टि नहीं करें। निम्नलिखित तालिका क्रमांक 01 एवं 02 के कॉलम तीन अंतर्गत सरह क्रमांक 04 में उल्लेखित राशि पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 लागू होगा, जिसे सरल क्रमांक 05 में उल्लेखित करना होगा। सरल क्रमांक 04 एवं 05 के कुल योग को सरल क्रमांक 06 में प्रविष्टि करें। सरल क्रमांक 06 में उल्लेखित कुल योग राशि 04 एवं 05 को ही अंतिम राशि मान्य होगी।

तालिका

| क्रमांक | पदनाम | विवरण | दर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह (समस्त कर, शुल्क सहित एकमुश्त पूर्णांक में राशि उल्लेखित करें प्रतिशत एवं दशमलव में राशि का उल्लेख न किया जावे) | |
|---------|--------------------|---|--|--------------|
| | | | (अंको में) | (शब्दों में) |
| 1 | हाऊसकिपिंग 8 घण्टे | 1 Basic Wages Plus VDA | | |
| | | 2 Other Charges Including EPF EST. Admin Charges, Allowance, Reliving Charges, HRA etc. | | |
| | | 3 Service Chages, if any | | |
| | | 4 Total of 1 to 3 | | |
| | | 5 GST @ 18% on Total Amt of 4 | | |
| | | 6 Sum Total of 4 and 5 | | |

मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत दरें निविदा के नियम व शर्तों के अनुसार भरा गया है। जो समय-समय पर केन्द्र राज्य सरकार तथा बस्तर जिला प्रशासन द्वारा बनाये गये लेबर कानून एवं नियम के अनुसार प्रदत्त सभी सुविधाओं एवं दायित्वों के पालन सहित है। उपरोक्त दर सभी लागत सहित है।

निविदाकार के हस्ताक्षर:-

फर्म का नाम व पता:-

.....

फर्म की सील/स्टॉम्प:-

फोन व मोबाईल नंबर:-



छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान, जगदलपुर (छ0ग0)
 हाऊसकिपिंग हेतु निविदा, दिनांक

तालिका 02

| क्रमांक | पदनाम | विवरण | दर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह (समस्त कर, शुल्क सहित एकमुश्त पूर्णांक में राशि उल्लेखित करें प्रतिशत एवं दशमलव में राशि का उल्लेख न किया जावे) | |
|---------|-------------------|---|---|--------------|
| | | | (अंको में) | (शब्दों में) |
| 1 | सुपरवाइजर 8 घण्टे | 1 Basic Wages Plus VDA | | |
| | | 2 Other Charges Including EPF Est. Admin Charges, Allowance, Reliving Charges, HRA etc. | | |
| | | 3 Service Chages, if any | | |
| | | 4 Total of 1 to 3 | | |
| | | 5 GST @ 18% on Total Amt of 4 | | |
| | | 6 Sum Total of 4 and 5 | | |

मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत दरें निविदा के नियम व शर्तों के अनुसार भरा गया है। जो समय-समय पर केन्द्र राज्य सरकार तथा बस्तर जिला प्रशासन द्वारा बनाये गये लेबर कानून एवं नियम के अनुसार प्रदत्त सभी सुविधाओं एवं दायित्वों के पालन सहित है। उपरोक्त दर सभी लागत सहित है।

निविदाकार के हस्ताक्षर:-.....
 फर्म का नाम व पता:-.....

 फर्म की सील/स्टॉम्प:-.....
 फोन व मोबाईल नंबर:-.....



प्रपत्र 04

निविदा की शर्तें

1. हाऊसकिपिंग का कार्य असंतोषजनक पाये जाने या सफाई कार्य में लापरवाही पाये जाने पर या महाविद्यालय के अधिकारियों के निर्देशों के अवहेलना करने पर या प्राप्त लिखित शिकायत/प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जॉच कराये जाने से पूर्व अथवा पश्चात् प्राप्त प्रतिवेदन पर प्राचार्य के अनुमोदन पश्चात् सफाई टेका विना फर्म को पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त/निरस्त किया जा सकेगा। हाऊसकिपिंग एजेंसी को सुनवाई का अवसर दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
2. हाऊसकिपिंग एजेंसी प्राचार्य के संपूर्ण परिसर एवं परिसर में स्थित सभी भवनों एवं कार्यालयीन भवनों की सफाई की व्यवस्था करेगा।
3. हाऊसकिपिंग एजेंसी स्वयं के व्यय से सफाईकर्मी को वर्दी, प्रोटेक्टिव गारमेंट एवं परिचय पत्र उपलब्ध कराएगी, ताकि उसकी पहचान सुनिश्चित हो। अनुबंधकर्ता द्वारा नियोजित सभी सुरक्षाकर्मी को पासपोर्ट साइज फोटो के साथ जारी पहचान पत्र (जिसमें उसका नाम, उम्र तथा स्थानीय पता, स्वयं का अथवा अनुबंधकर्ता के दूरभाष/मोबाईल नंबर के साथ दर्ज हो) धारण करते हुए ड्यूटी करना होगा, उक्त पहचान पत्र सुरक्षा एजेंसी द्वारा अधिकृत सुरक्षा व्यवस्थापक एवं महाविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी अथवा प्रशासन विभाग के अधिकारी के प्रति हस्ताक्षरित होना अनिवार्य होगा।
4. हाऊसकिपिंग एजेंसी द्वारा सफाईकर्मी की उपस्थिति पंजी रखा जावेगा, जिसकी जॉच समय-समय पर हाऊसकिपिंग द्वारा अधिकृत सुरक्षा व्यवस्थापक एवं महाविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत प्रशासन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी किया जावेगा। प्रत्येक सफाईकर्मी की उपस्थिति पंजी में दर्ज किये जोन के पश्चात् महाविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत प्रशासन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को सौपना होगा।
5. हाऊसकिपिंग एजेंसी द्वारा नियोजित कर्मियों को महाविद्यालय के प्रतिनिधि के समक्ष भुगतान कर प्रबंधन के प्रतिनिधि के द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के साथ देयक प्रत्येक माह के पॉच तारीख तक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। देयक के साथ एजेंसी द्वारा भुगतान किये गये वेतन-पत्रक की छायाप्रति सत्यापित उपस्थिति पत्र तथा गत माह सुरक्षा कर्मियों से काटे गए भविष्य निधि राशि शासकीय कोष में जमा किये चालान की छायाप्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा एजेंसी का देयक अपूर्ण मानकर उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी। यदि एजेंसी द्वारा नियोजित कर्मचारियों को नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन अथवा किसी कर्मचारी को वेतन न मिलने की शिकायत प्राप्त होती है तो महाविद्यालय द्वारा उक्त कर्मी को टेकेदार की ओर से सीधे भुगतान कर दिया जाएगा एवं एजेंसी से उक्त राशि वसूल की जाएगी। इस प्रकार श्रम कानूनों के अंतर्गत एजेंसी द्वारा निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
6. हाऊसकिपिंग एजेंसी द्वारा अनुबंध के उल्लंघन पर चूक करने की दशा में महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि विना जॉच के अथवा यथोपरी अनुसार जॉच के पश्चात् हाऊसकिपिंग टेका निरस्त कर दिया जाएगा एवं ऐसे प्रकरण में जमा की गई अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी।
7. हाऊसकिपिंग एजेंसी को रिकार्ड रखने, बैठने एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु प्रशासन विभाग द्वारा स्थान उपलब्ध कराएगा।
8. टेके के दौरान हाऊसकिपिंग एजेंसी महाविद्यालय के कार्यरत कर्मचारियों/दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हाऊसकिपिंग में कार्य पर नहीं ले जा सकेगी।
9. हाऊसकिपिंग एजेंसी को अपने कर्मियों को कार्य पर रखने के पूर्व महाविद्यालय प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। किसी भी सफाईकर्मी के आचरण/व्यवहार में शंका पाये जाने पर अथवा प्रशासन द्वारा सूचना दिये जाने पर एजेंसी द्वारा सूचना दिये जाने पर तत्काल उक्त कर्मी को हटा दिया जावेगा।
10. हाऊसकिपिंग एजेंसी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने सफाईकर्मी को वेतन/पारिश्रमिक भुगतान एवं नियमानुसार एलाउन्स आदि का भुगतान बैंक एकाउन्ट के माध्यम से देगी। सफाईकर्मी को देय मासिक/दैनिक

वेतन/पारिश्रमिक श्रमायुक्त छ0ग0 शासन/कलेक्टर, जिला-बस्तर द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मासिक/दैनिक वेतन/पारिश्रमिक से कम नहीं होगा। ईपीएफ अंशदान एवं सफाईकर्मियों को प्रदत्त सुविधाओं के लिए समस्त राशि सुरक्षाएजेंसी द्वारा प्रस्तुत देयक से काटकर महाविद्यालय द्वारा जमा की जा सकेगी। हाऊसकिपिंग एजेंसी सफाईकर्मियों को वेतन/पारिश्रमिक भुगतान एवं नियमानुसार एलाउन्स आदि का भुगतान निर्धारित काउन्टर/कक्ष से महाविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत प्रशासन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष कर सकेगा।

11. हाऊसकिपिंग एजेंसी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह छत्तीसगढ़ में लागू होने वाले समस्त श्रम कानूनों जैसे-फैक्ट्री, एंट, श्रम संविदा अधिनियम, ईपीएफ अधिनियम एवं अन्य संबंधित अधिनियमों तथा श्रम विभाग, छ0ग0 शासन द्वारा श्रमिकों/ठेका कर्मियों के हित में समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का पालन करें। सुरक्षाएजेंसी की गलती की वजह से यदि शासन द्वारा महाविद्यालय प्रशासन को दण्ड निर्धारित किया जाता है तो महाविद्यालय प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वे सुरक्षाएजेंसी को किये जाने वाले भुगतान से इस प्रकार की क्षति को समायोजित किया जावेगा।
12. हाऊसकिपिंग एजेंसी का कोई भी सफाईकर्मियों कार्य अवधि में किसी भी प्रकार की ट्रेड यूनियन/संघ आदि की अवैधानिक गतिविधियों/हडताल में भाग नहीं लेगा और न ही ऐसी कोई गतिविधि उनके द्वारा महाविद्यालय परिसर में संचालित की जावेगी।
13. महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का कड़ाई से पालन करना एवं सफाई व्यवस्था के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए हाऊसकिपिंग एजेंसी उत्तरदायी होगी।
14. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार सफाई कर्मियों की तैनाती के संबंध में समय-समय पर निर्देश दिया जावेगा, जिसका सुरक्षा एजेंसी को पालन करना अनिवार्य होगा।
15. हाऊसकिपिंग एजेंसी महाविद्यालय प्रशासन की आवश्यकता एवं निर्देश अनुसार समय प्रबंधन एवं आफिस रिकार्ड आदि रखने के लिए उत्तरदायी होगी।
16. हाऊसकिपिंग एजेंसी डेली रिपोर्ट तैयार करेगी एवं उस रिपोर्ट को महाविद्यालय प्रशासन विभाग के समक्ष प्रस्तुत कराएगी। उक्त व्यवस्था हाऊसकिपिंग एजेंसी स्वयं करेगी।
17. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा हाऊसकिपिंग को किसी भी प्रकार की लिपिकीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराएगी। उक्त व्यवस्था हाऊसकिपिंग एजेंसी स्वयं करेगी।
18. हाऊसकिपिंग एजेंसी अनुबंध/निविदा की शर्तों का उल्लंघन करता है तो महाविद्यालय प्रशासन द्वारा सुरक्षा ठेके को निरस्त करने का अधिकार होगा।
19. हाऊसकिपिंग एजेंसी को अपने कर्मचारियों के लिए फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड अवकाश कार्ड आदि देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा उसका व्यवस्थित रिकार्ड एजेंसी को स्वयं ही रखना होगा। जिसकी एक प्रति भुगतान देयक के साथ कार्यालय में जमा करवानी होगी। निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान संबंधित रिकार्ड चेक कराने होंगे।
20. सफाईकर्मियों महाविद्यालय के अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रति सदैव सम्मान का भाव प्रकट करेंगे, उनके द्वारा अश्लील एवं अशोभनीय वार्तालाप महाविद्यालय परिसर में नहीं किया जावेगा। सफाईकर्मियों सदैव पूर्ण गणवेश में रहेंगे।
21. महाविद्यालय प्रबंध के परिसर में धुप्रपान/मदिरापान अन्य अवांछित पदार्थों का सेवन पूर्णतः वर्जित है। यदि सफाई कर्मचारियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो प्रबंधन को स्वविवेक से सुरक्षा एजेंसी पर जुर्माना करने का अधिकार होगा। हाऊसकिपिंग एजेंसी दोषी सफाईकर्मियों को तत्काल महाविद्यालय की सफाई सेवा से हटा देगी।
22. हाऊसकिपिंग एजेंसी अपने कर्मचारियों के ई0पी0एफ/ई0एस0आई कटौती अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु उत्तरदायी होगी एवं इसका संपूर्ण अधिकार एवं रिकार्ड एजेंसी द्वारा स्वयं रखा जावेगा तथा सत्यापन हेतु यह रिकार्ड महाविद्यालय प्रशासन को समय-समय पर प्रस्तुत किया जावेगा।
23. निविदाकर्ता उनके द्वारा दी गई दरो को संलग्न प्रपत्र में ही प्रस्तुत करें। निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर रिक्त स्थान में हाऊसकिपिंग एजेंसी की अधिकृत मोहर लगाकर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करना होगा।

Rash

24. महाविद्यालय प्रशासन को वर्तमान में आवश्यक सफाईकर्मों की अनुमानित संख्या निम्नानुसार है, जो कि परिवर्तनीय है:-

| | |
|----------|-----------------|
| पद नाम | 8 घंटा कार्यवधि |
| सफाईकर्म | 14 |

यह संख्या महाविद्यालय प्रशासन द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। सफाईकर्मों की संख्या कम या अधिक किया जा सकेगा। निविदाकर्ता अपनी दरें एवं सर्विस चार्जस का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित प्रपत्र में ही करें।

25. यदि महाविद्यालय प्रशासन एवं हाऊसकिपिंग एजेंसी के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होत है तो उसे माननीय प्राचार्य जी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जावेगा। माननीय प्राचार्य जी द्वारा लिया गया निर्णय हाऊसकिपिंग एजेंसी एवं विश्वविद्यालय प्रशासन/संबंधित स्टाफ को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
26. (अ) महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों, समय-सारणी एवं निर्धारित स्थल पर एजेंसी को सफाई कर्मों पदस्थ करना अनिवार्य होगा। नियोजित सफाईकर्मों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से अधिकतम 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इन्हे चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए।

चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा इनको जारी पहचान पत्र अनुबंध आरंभ होने के साथ-साथ महाविद्यालय में इनसे संबंधित निम्न जानकारी देते हुए आवश्यक दस्तावेज अनिवार्यतः जमा करना होगा:-

1. हाऊसकिपिंग कर्मियों का पूरा नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, लिंग आदि जानकारी।
2. स्थायी पता एवं वर्तमान पता, मोबाईल नंबर आदि।
3. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, प्रशिक्षण में सहभागिता प्रमाण पत्र, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा अद्यतन जारी चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 आदि।
5. पासपोर्ट आकार के 03 नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ।

(ब) एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा नियोजित सफाई कर्मों जागरूकता से कार्य संपादित करे तथा पूर्ण अनुशासित रहे। एजेंसी के कर्मचारियों की लापरवाही से महाविद्यालय की आर्थिक क्षति होती है तो उसकी वसूली एजेंसी से की जावेगी। इसी प्रकार कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी सजगता से न किये जाने की दशा में महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उपरोक्त पेनाल्टी एजेंसी से ली जावेगी। इस संबंध में प्राचार्य महोदय का निर्णय अंतिम होगा।

(स) एजेंसी द्वारा असंतोषजनक कार्य किये जाने पर अथवा अनुबंध की कंडिकाओं का उल्लंघन किये जाने पर अथवा लापरवाही पूर्वक कार्य किये जाने पर महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रकरण के गुण-दोष को ध्यान में रखते हुए एजेंसी की सेवा तत्काल समाप्त की जावेगी तथा एजेंसी द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी अथवा एक माह का नोटिस देकर यह ठेका समाप्त कर दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में प्रतिभूति राशि राजसात कर लिया जाएगा। इस संबंध में प्राचार्य जी का निर्णय अंतिम होगा।

27. महाविद्यालय प्रशासन का यह अधिकार सुरक्षित है कि समस्त परिसर हेतु हाऊसकिपिंग व्यवस्था का ठेका एक ही अथवा विभिन्न हाऊसकिपिंग एजेंसी को आबंटित करें।
28. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जो शर्तें, नियम, ठेका, अवधि, सफाई कर्मों की संख्या आदि में किए गए संशोधन को निविदाकार द्वारा मान्य करना होगा।
29. हाऊसकिपिंग का उद्देश्य यह है कि पूरा शैक्षणिक परिसर हर समय साफ-सुथरा दिखे और ठेकेदार को कार्यालय परिसर को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी कार्य/गतिविधियां करनी होंगी, चाहे ऐसी गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया हो या नहीं।

संस्थान परिसर के सभी कमरों शौचालयों गलियारों, कार्यालय परिसर, भवनों, प्रयोगशालाओं, कक्षाओं और उनके आसपास के किसी भी अन्य ढांचे और क्षेत्र की सफाई, झाड़ू लगाना और पोछा लगाना। सड़कों, खुले चौकलों और नालियों की सफाई करना, लान, पाकों और अन्य खुले क्षेत्रों से पेड़ों के पत्तों को हटाना।

क) दैनिक कार्य

- (i) गलियारों और सीढ़ियों की झाड़ू लगाना, साफ-सफाई करना और धुलाई करना
- (ii) दिन में दो बार शौचालयों की साफ-सफाई करना

Prash

- (iii) कार्यालय के फर्निचर, प्रयोगशाला उपकरणों, जैसे मेज, कुर्सियाँ, साइड टेबल, रैक और दरवाजे तथा अन्य उपकरणों की धूल झाड़ना और सफाई करना।
- (iv) सभी कक्षाओं और प्रयोगशालाओं के फर्श की प्रतिदिन झाड़ू लगाना और पोछा लगाना।
- (v) दरवाजों की धूल झाड़ना, वाशबेसिन और शीशे की प्रतिदिन सफाई करना।
- (vi) खुले स्थान की झाड़ू लगाना और वहाँ से कचरा हटाना।
- (vii) मुलायम झाड़ू से भवन की पूरी सफाई करना।
- (viii) लान और खुले क्षेत्र की झाड़ू लगाना।
- (ix) सभी कमरों/प्रयोगशालाओं के कूड़ेदानों को खाली करना।
- (x) प्रयोगशाला परिसर और कक्षाओं से प्रतिदिन कचरा कालेज परिसर के बाहर और दूर ठेकेदार द्वारा व्यवस्थित उपयुक्त डंपिंग क्षेत्र में डालना।
- (ख) साप्ताहिक कार्य
- (i) गलियारे या फर्श को उपयुक्त सफाई एजेंटों से धोना और पोंछना।
- (ii) खुले क्षेत्रों में झाड़ू लगाना और छिड़काव करना।
- (iii) नालियों की सफाई।
- (iv) कमरे के कूलर, पंखे और एयर कंडीशनर की धूल हटाना।
- (v) दीवार और छत से जाले हटाना।
- (vi) विभाग के अंदर और बाहर में गार्डन से घास निकालना और सफाई करना।
- (vii) क्लासरूम के सभी चेयर और टेबल को पोछा लगाना।
- यदि कार्यालय परिसर गंदा पाया जाता है या यहां-वहां कूड़े के ढेर लगे पाए जाते हैं, तो संबंधित माह के कुल मासिक बिल की राशि का अधिकतम 20% तक जुर्माना लगाया जाएगा। ठेकेदार द्वारा दो कार्य दिवसों के भीतर काम न करने वाले कर्मचारियों को हटाकर उनके स्थान पर सक्षम कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा तथा फर्म के लिए बाध्यकारी होगा।
30. हाऊसकिपिंग के लिए सफाई सामग्री जैसे फिनाईल, झाड़ू इत्यादि हाऊसकिपिंग एजेंसी द्वारा कर्मियों को उपलब्ध कराना होगा।
31. हाऊसकीपिंग एजेंसी अपने हर कर्मचारी को डेली सफाई डायरी प्रदान करना होगा जिसमें सफाई के पश्चात रोज सम्बंधित विभाग या भवन के दो कर्मचारियों का साइन करवाना अनिवार्य होगा।
32. एजेंसी को भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक माह का भुगतान संबंधित बिल प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम 30 (तीस) दिनों के भीतर किया जाएगा, बशर्ते कि एजेंसी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ-
- (i) उपस्थिति रजिस्टर/हाजिरी विवरण (Attendance Record)
- (ii) EPF एवं ESIC अंशदान जमा करने का प्रमाण (Challan/Return)
- (iii) कर्मचारियों को वेतन भुगतान का प्रमाण (Bank Transfer/Payment Sheet)
- उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में भुगतान रोका जा सकता है तथा विलंब के लिए महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

हाऊसकिपिंग की उक्त प्रावधान क्रमांक 01 से 32 के तहत ही हाऊसकिपिंग का ठेका मान्य होगा।





छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान,
जगदलपुर (छ0ग0)